कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक संबंध

36. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक संबंधों में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किये हैं ;

(ख) इस कारण से पिछले छः महीनों में कुल कितनी उत्पादन की हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला क्षेत्र में किसी भी मजदूर संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालयय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० की कोयला कम्पनियों में निम्नलिखित औद्योगिक संबंध प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है:-

संयुक्त परामर्शी समितियां, जिनमें संगठनों तथा प्रबंधन के बराबर की संख्या में प्रतिनिधि होते हैं, कोलियरी/परियोजनाओं, क्षेत्र तथा कम्पनी, मुख्यालय के स्तर पर कार्य कर रहे हैं । संयुक्त परामर्शी समितियां आवधिक रूप में बैठक करती हैं तथा इन बैठकों में कर्मचारियों के कल्याण, उत्पादन, उत्पादकता, जागत, श्रमशक्ति नियुक्ति आदि जैसे समान हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

कोलियरी/परियोजनाए, क्षेत्रीय एवं कम्पनी मुख्यालय स्तर पर कार्यरत मजदूर संघों के साथ आवधिक रूप में द्विपक्षीय चर्चा की जाती है । विचार-विमर्श के दौरान कर्मचारियों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिकायतों पर चर्चा की जाती है तथा उनका निपटान किया जाता है ।

कोल इंडिया मुख्यालय स्तर पर कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विपक्षीय समिति तथा इसकी उप-समितियां कार्य कर रही हैं । ये समिति मजदूरी, परिलब्धियों, कल्याण सुविधाओं, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर, श्रेणियों का मानकीकरण ग्रेडों तथा साथ-साथ कार्य नामांकन संबंधी निर्णय लेती है ।

उपर्युक्त उल्लिखित औद्योगिक संबंध प्रणाली कोयला कम्पनियों में भलीभांति कार्य कर रही हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कोलफील्डस में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर मधुर हैं ।

(ख) को.इ.लि. में जनवरी, 1993 से जून, 1993 तक उभर कर आई स्थानीय समस्याओं कारण कोयले के उत्पादन में 70,268 टन की हानि हुई ।

(ग) ए.एन.टी.यू.सी., ए.आई.टी.यू.सी., एच.ए.एस. सी.आई.टी.यू. तथा बी.एम.एस. जैसी 5 केन्द्रीय मजदूर संघों से संबद्ध मजदूर संघों को कोल इंडिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों में मजदूर संघों के रूप में मान्यता प्राप्त है । इनके साथ नियमित रूप से द्विपक्षी वार्ता की जाती है तथा कोलियरी/परियोजना क्षेत्र तथा कम्पनी मुख्यालय पर इन्हें संयुक्त परामर्शी समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जहां भी इनके अथवा किसी अन्य मजदूर संघ के 25% की सीमा तक सदस्य होते हैं ।

(घ) विभिन्न मजदूर संघों की सदस्यता का सत्यापन श्रम मंत्रालय द्वारा 1980 किया गया था । विभिन्न मजदूर संघों की सदस्यता के सत्यापन का कार्य श्रम मंत्रालय द्वारा आरम्भ कर दिया गया है तथा जब तक कि मजदूर संघों की सदस्यता की संख्या पूरी नहीं हो जाती है तब तक कि जदूर संघों की सदस्यता की संख्या पूरी नही हो जाती है तब तक कोयला कंपनियों द्वारा किसी भी जदूर संघ को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करना संभव नहीं हो सकेगा ।